I/3111155/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA NO.34/2024

No. 2020/AC-II/21/7 /e3327325 New Delhi, dated 03.12.2024

1. **General Managers/FA&CAOs etc(As per standard List I)**
2. **All attached offices/Subordinate Offices (As per standard List II)**

Sub: Opening of a new detailed Head - **656- under erstwhile demand No. 13- with the description "Employee contribution and returns thereon payable where the corpus has already been credited"- ACS No.12** to Finance Code Vol-II.

Ref:- 1. FE-III letter No. D/43/43/2020-F(E)III dated 4.6.2021 and 17.3.2022.

Please refer to Board's letters ibid(copy available on Indian Railways website). In this connection, the matter regarding accountal of such portion of deceased employees' contribution and returns thereon of the amount which has already been credited to Demand no.13 and has to be paid to the nominee or legal heir subsequently has been under consideration of Board.

It has now been decided to open a new detailed Head **656- under erstwhile demand No. 13- with the description "Employee contribution and returns thereon payable where the corpus has already been credited".**

Accordingly, **Advanced Correction Slip No. 12** is enclosed.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

Kindly acknowledge receipt.

DA: As above

Signed by
Rajat Agarwal
Date: 04-12-2024 15:16:11

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No. 011-23047018
E mail ID: Rajat.agarwal91@gov.in

1. General Manager, Reserve Bank of India, Dept. of Govt & Bank Accounts, Central Office, Opp Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008.
2.CGA, Ministry of Finance, Deptt of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
3.Dy. C&AG of India (Railways, Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
4.Joint Secretary, Dept of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and IT , 6,CGO Complex, New Delhi - 110003
5.Gen Secy, NFIR/AIRF, New Delhi.
6. F(E) III,PAO/RB, ERB-I,II,III,IV,V,AC-III (6 copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection

I/3111155/2024

<u>Advance correction slip No. 12</u>

<u>Indian Railway Finance code vol.II (Second Reprint Edition 2022)</u>

<u>(Classification of Revenue Expenditure (Appendix-I)</u>

Please introduce the following Detailed Head under Major Head 3002 & 3003 Sub Major Head 11 Erstwhile Demand No. 13 - Abstract 'L' Sub Head- 650.

Detailed head	Description
656	Employee contribution and returns thereon payable where the corpus has already been credited

(Authority - Board's letter no. 2020/AC-II/21/7 DATED ________)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 34/2024

सं. 2020/एसी-II/21/7/ई 3327325

नई दिल्ली, दिनांक 03/12/2024

1. महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी आदि (मानक सूची I के अनुसार)
2. सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची II के अनुसार)

विषय: पूर्ववर्ती मांग सं. 13 के अंतर्गत एक नया विस्तृत शीर्ष-656 खोलना - जिसमें विवरण होगा "कर्मचारी अंशदान और उस पर देय रिटर्न, जहां कॉर्पस पहले ही जमा कर दिया गया है"- वित्त संहिता जिल्द-II की अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 12.

सन्दर्भ:-1. वित्त व्यय-III का दिनांक 4.6.2021 एवं 17.3.2022 का पत्र सं. डी/43/43/2020- वित्त व्यय-III.

कृपया बोर्ड के उपरोक्त पत्र देखें (प्रतिलिपि भारतीय रेल की वेबसाइट पर उपलब्ध)। इस संबंध में, मृतक कर्मचारियों के अंशदान के ऐसे हिस्से का लेखा-जोखा तथा उस राशि पर रिटर्न से संबंधित मामला, जो पहले ही मांग सं. 13 में जमा किया जा चुका है और जिसे बाद में नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाना है, बोर्ड के विचाराधीन है।

अब यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्ववर्ती मांग संख्या 13 के अंतर्गत एक नया विस्तृत शीर्ष-656 खोला जाए, जिसका विवरण होगा "कर्मचारी अंशदान तथा उस पर देय रिटर्न, जहां कॉर्पस पहले ही जमा कर दिया गया है"।

तदनुसार, अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 12 संलग्न है।

कृपया शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को यथोचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक:यथोक्त

(रजत अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं.-011-23047018
ई-मेल आईडी - rajat.agarwal91@gov.in

1. महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग, सेंट्रल कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, बायकुला, मुंबई-400008.
2. सीजीए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली.
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली.
4. संयुक्त सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
5. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर/एआईआरएफ, नई दिल्ली.
6. वित्त (व्यय)-III, वेतन एवं लेखा अधिकारी /रेलवे बोर्ड, ईआरबी-I, II, III, IV, V, लेखा-III (6 प्रतियां), लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण

*****

अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या-12

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II (द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2022)

(राजस्व व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-I))

-

कृपया मुख्य शीर्ष 3002 एवं 3003 उप मुख्य शीर्ष 11, पूर्ववर्ती मांग संख्या 13 - सार 'ठ'- उप शीर्ष-650 के अंतर्गत निम्नलिखित विस्तृत शीर्ष प्रस्तुत करें -

विस्तृत शीर्ष	विवरण
656	कर्मचारी अंशदान और उस पर देय रिटर्न जहां कॉर्पस पहले ही जमा कर दिया गया है।

(प्राधिकार - बोर्ड का दिनांक ------ का पत्र संख्या 2020/एसी II/21/7)